न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू जिला जयपुर, राज0
श्री बीरबल सिंह शेखावत (आरएएस)
(पीठासीन अधिकारी)

अपील संख्या 47/2021

निर्णय दिनांक 07.04.2021

1 सीताराम पिसरान रामनारायण जाति बारागॉव ब्राहम्ण निवासी चकवाडा तहसील फागी
2. रामसहाय जिला जयपुर राज0
3 दुर्गाशंकर

– अपीलार्थी

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर

– रेस्पोडेन्ट

अपीलान्ट अधिवक्ता – हनुमान सहाय सिहाग

अपील अर्न्तगत धारा 75 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 22.10.2020 तहसीलदार फागी के द्वारा नामान्तकरण संख्या 2789 को खारिज करने के विरूद्व

निर्णय

अपीलान्ट के द्वारा पेश की गई अपील का संक्षेपसार इस प्रकार से है। अपीलान्ट/प्रार्थीगण कदीम से ग्राम चकवाडा तहसील फागी में रहते चले आ रहे है। वाके ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 2062 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा पर्चा सेटलमेन्ट में मूल रकबा था। जिसमें खसरा संख्या 2062/1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा गै0मु0 रास्ता दर्ज है व खसरा संख्या 2062 में से 1 बीघा 02 बिस्वा गै0मु0 आबादी में भी परिवर्तित हो चुकी है। खसरा संख्या 2062/1रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि मे से 05 बिस्वा भूमि अपीलान्टगण के पिता रामनारायण के नाम नियमन किया जा चुका है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से आंवटन कमेटी व तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.5.1978 के आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नही हो सका तहसीलदार फागी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त आदेश का अमल राजस्व रिकार्ड मे नही करने पर अपीलान्ट ने मजबूर होकर एक नियमित वाद मान्य न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी के यहॉ पर प्रस्तुत किया जिसका मुकदमा संख्या 84/2017 उनवानी सीताराम बनाम तहसीलदार फागी वगैरह दिनांक 18.8.2020 को मान्य न्यायालय सहायक कलक्टर फागी द्वारा अपीलाल्ट का वाद स्वीकार कर आराजी खसरा संख्या 2062/1 रकबा 1बीघा 19 बिस्वा भूमि का लगना 20 गुना नजराना राशि 15 गुना/ पेनल्टी राशि जमा करवाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर

दिया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा गिरदावरी, नियमन आदेश सिचाई विभाग की रसीद व मौके पर कब्जे के आधार पर अपीलान्ट का दावा डिकी फरमा दिया गया। जिसकी अनुपालना मे नामान्तकरण संख्या 2789 भरकर पटवारी / गिरदावर हल्का द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसको तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 22.10.2020 को खारिज फरमा दिया गया। अतः तहसीलदार फागी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2020 को खारिज फरमाया जावे। तहसीलदार फागी द्वारा पारित आदेश कतई विधि विरूद्व है। चूकि मान्य न्यायलय सहायक कलक्टर फागी के द्वारा पारित व निर्णय डिकी दिनांक 18.08.2020 की पालना करना कानून आवश्यक था। चूंकिं उक्त वाद में स्वंय तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार थे। एक्त वाद मे उनको सुनवाई का अवसर प्रदान कर मान्य न्यायालय द्वारा निर्णय व डिकी पारित की है। इसलिये भी कानूनन व निर्णय की पालना करना आवश्यक था। जो उन्होने नही किया तथा उसके विपरित विधि विरूद्व आदेश पारित किया है। इसलिये तहसीलदार फागी के आदेश दिनांक 22.10.2020 को खारिज किया जावे।

तहसीलदार फागी को नाटिस देकर तलब किया तथा नामान्तकरण मूल रिकार्ड प्राप्त किया।

बहस में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील में पेश किये गये कथन को दोहराया गया। हमने पत्रावली को अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि न्यायालय सहायक कलक्टर फागी आदेश निर्णय दिनांक 18.08.2020 की पालना में तहसीलदार फागी को नामान्तकरण तस्दीक करना चाहिए था। यदि उसमे कोई खामी थी तो विधिक प्रकिया अपनाते हुऐ न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के आदेश निर्णय के विरूद्व अपील करनी चाहिए थी। परन्तु तहसीलदार फागी द्वारा ऐसा नही कर नामान्तकरण को खारिज कर दिया। जिसके लिऐ वे अधिकृत नही है। जो विधि व नियम विरूद्व है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार फागी द्वारा जारी नामान्तकरण संख्या 2789 दिनाकं 22.10.2020 को खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार फागी को आदेश दिया जाता है कि वे न्यायालय सहायक कलक्टर फागी मुताबिक डिकी व निर्णय दिनांक 18.8.2020 को पुनः नामान्तकरण तस्दीक करे। अन्यथा अपील दायर करे। आज दिनांक 07.04.2021 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बीरबलसिंह शेखावत
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट